महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता

संख्या– 9132 / 86–2012–127 / 2011

प्रेषक,

विवेक वार्ष्णेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1.समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2.निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0,
लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग: लखनऊ : दिनांक 10 सितम्बर, 2012

विषयः प्रदेश में पाये जाने वाले मुख्य खनिजो / उप खनिजों के खनन हेतु पर्यावरण विभाग का स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–5785 / 86–11–127 / 2011, दिनांक 20 मई, 2011 एवं शासनादेश सं0–582 / 86–12–235 / 2010, दिनांक 22 मार्च, 2012 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में खनन क्षेत्रों पर डीड निष्पादन एवं खनन संक्रियायें प्रारम्भ करने के पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के तहत पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिये गये थे। लगभग 13 माह की अवधि व्यतीत होने के उपरांत अभी तक अधिकांश पट्टेधारकों से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सूचना शासन को प्राप्त नहीं हुई है जबकि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रकिया में अधिकतम 210 दिन अर्थात 07 माह की ही अवधि निर्धारित है। चूंकि उक्त पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने के कारण स्वीकृत खनन क्षेत्रों पर खनन संक्रियायें पूर्णतः अवरुद्ध है इससे जहाँ एक ओर अवैध खनन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार को राजस्व की क्षति भी हो रही है।

अतः राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे पट्टेधारकों जिनके पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है और पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण खनन संक्रियायें नहीं हो पा रही हैं, द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दि0 14.09.2006 के तहत आगामी 04 माह के भीतर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय। यदि उक्त अवधि में ऐसे पट्टेधारक जो स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त कर खनन पट्टा विलेख

निष्पादित नहीं कराते हैं एवं खनन संक्रियायें प्रारम्भ नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी कर नियमानुसार पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही की जाये।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

10/9

(विवेक वार्ष्णेय)
विशेष सचिव ।

संख्या-- (1)/86-12, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, वन, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त प्रभारी क्षेत्रीय कार्यालय/खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म ।
6. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव ।

so go.r